ISO 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

website : http://www.upavp.com ; E-mail : info@upavp.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS SQMS

**परिषद की वृन्दावन योजना संख्या-4 , लखनऊ में नीलगिरी एन्क्लेव/वृन्दावन योजना संख्या-3 , अरावली एन्क्लेव में स्व वित्त पोषित बहुमंजिले आवासीय परियोजना के अन्तर्गत फ्लैटों का**

## नम्बरिंग ड्रा/पात्रता चयन सूचना

**स्थल :- आफिस काम्पलेक्स, सेक्टर-9, वृन्दावन योजना, लखनऊ**

**दिनांक : 26.02.2015**

**समयः प्रातः 11:00 बजे**

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की वृन्दावन योजना संख्या-4, सेक्टर-17, लखनऊ में **नीलगिरी एन्क्लेव** में स्व वित्त पोषित बहुमंजिले आवासीय परियोजना के अन्तर्गत फ्लैटों का पंजीकरण खोला गया था। उक्त पंजीकृत आवेदकों का पात्रता चयन **दिनांक 18.08.2013** को किया जा चुका है। नीलगिरी एन्क्लेव के वरीयता अंकित पंजीकृत आवेदकों को लाटरी ड्रा से इतर तल पर फ्लैट आवंटित होता है, तो ऐसे आवेदक यदि फ्लैट लेने के इच्छुक नहीं हैं, तो वे अपनी सहमति निर्धारित लाटरी ड्रा तिथि से 15 दिनों के अन्दर कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्ध, आफिस काम्पलेक्स, सेक्टर-9, वृन्दावन योजना, लखनऊ में प्राप्त करा सकते हैं। ऐसे समस्त पंजीकृत आवेदकों की पंजीकरण धनराशि एवं किश्तों की जमा धनराशि बिना कटौती/बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त प्रार्थना पत्र विचारणीय नहीं होंगे।

वृन्दावन योजना संख्या-3 सेक्टर-12, लखनऊ में **अरावली एन्क्लेव** में स्व वित्त पोषित बहुमंजिले आवासीय परियोजना के अन्तर्गत फ्लैटों का पंजीकरण **दिनांक 22.08.2014** से **31.10.2014** तक विभिन्न बैंकों के माध्यम से खोला गया था। उक्त पंजीकरण आवेदकों का विस्तृत विवरण परिषद की वेब साइट **upavp.com** पर उपलब्ध है। यदि किसी आवेदक की अपूर्ण सूचना हो अथवा कोई आपत्ति हो तो **दिनांक 24.02.2015** तक साक्ष्य सहित लिखित विवरण कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्ध, आफिस काम्पलेक्स, सेक्टर-9, प्रथम तल, वृन्दावन योजना, लखनऊ में प्राप्त करा सकते हैं, उक्त तिथि के पश्चात किसी भी प्रकार की सूचना ग्रहण न होगी। पात्र पंजीकृत आवेदकों के मध्य पात्रता चयन एवं नीलगिरी एन्क्लेव का फ्लैट नम्बरिंग लाटरी ड्रा दिनांक **26.02.2015** को **प्रातः 11.00** बजे से आफिस काम्पलेक्स, सेक्टर-9, वृन्दावन योजना, लखनऊ में नियमानुसार किया जायेगा। किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।

**नोटः** पंजीकृत आवेदकों को पंजीकरण चालान की मूल प्रति एवं पहचान पत्र दिखाने पर ही प्रवेश अनुमन्य होगा।

**आवास आयुक्त**